तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/34/2005/झुंझुनूं** **मूर्तिमंदिर बनाम रामोतार पुत्र किरोडीमल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
श्री श्यामबाबू पारिक, अभिभाषक प्रार्थी
श्री दिलीप सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांकः 24–04–2025

निर्णय

यह निगरानी न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–11–2004 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वादी/प्रार्थी ने एक वाद बाबत इस्तकरारहक, निष्कासन विरूद्ध अप्रार्थीगण के आराजी खसरा नं0 33 रकबा 69 बीघा 16 बिस्वा का प्रस्तुत किया जिसके साथ वादी/प्रार्थी ने वाद घोषणा व निष्कासन किया एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं कायमी रिसीवरी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण ने वादी/प्रार्थी के वाद एवं प्रार्थना पत्र का विरोध किया एवं अपने द्वारा कराया गया नवीन रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जबकि मिन वादी की ओर से मिसल हकियत संवत 1999 की व 2014–18 की जमाबन्दी आदि प्रस्तुत की, जिन सबको देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं ने भूमि पर प्रापक नियुक्त किए जाने एवं यदि विपक्षी द्वारा 200/–रूपये प्रतिवर्ष प्रति बीघा नकद प्रतिभूति जमा कराने पर विपक्षी को काश्त करते रहते की भी आज्ञा दिनांक 19–11–2003 को प्रसारित कर दी। विपक्षीगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया। उनका तर्क है कि वादी मन्दिर के हक में विवादास्पद भूमि माफी से अता हुई है एवं उसके इन्द्राज अब तक बदस्तूर चले आ रहे हैं। वादी मन्दिर के पुजारियान विपक्षी के पूर्व व प्रार्थी के हाल पुजारी व सेवायत श्री भवानी शंकर व गोरखराम रहे हैं। पुजारियान की काश्त भी वादी मन्दिर की काश्त रही है। वादी मन्दिर की खुदकाश्त व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 34 / 2005 / झुंझुनूं** **मूर्तिमंदिर बनाम रामोतार पुत्र किरोडीमल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उसका अंकन रिकॉर्ड में रहा है कि जिस पर विपक्षी पुजारी का कोई हक हकूक खातेदारी का नहीं हो सकता। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी मन्दिर का स्वत्व न मानने में सरासर त्रुटी कारित की है। वादी मन्दिर एक शाश्वत अवयस्क है और उसकी भूमि पर विपक्षी का कोई स्वत्व खातेदारी अधिकार का नहीं होता। वादी की खुदकाश्त की भूमि पर अनाधिकार रूप से अधिकृत होने से विपक्षी को कोई खातेदारी उत्पन्न नहीं हो सकती एवं उस हैसियत से जबरन कब्जे से मन्दिर के अधिकार व संरक्षण भूमि पर प्रापक नियुक्ति के अलावा अन्य विकल्प से नहीं हो सकती कि जिसे सही रूप से विचारण न्यायालय ने माना है। वादी / प्रार्थी का प्रबल प्रथम दृष्ट्या वाद स्वत्व का रहा है। उसकी माफी व उस अनुरूप उसके पुजारियों द्वारा काश्त होने से खुदकाश्त साबित है। ऐसी अवस्था में उसका प्रबल प्रथम दृष्टया वाद है एवं निषेधाज्ञा व कायमी रिसीवरी में ही है उसकी सुविधा का सन्तुलन अपेक्षित है कि जिसके बिना उसे अपार हानि होती है। किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इन सबके बावजूद विपक्षी के हक में निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः वादी / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को कायम रखते हुए रिसीवर कायम रखा जावें और यदि भूमि विपक्षीगण के कब्जे में रखी जावे जो 200 / — प्रति बीघा प्रतिवर्ष के बजाय 2000 / — रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष पर ही विपक्षीगण की दी जावे एवं उक्तानुसार प्रतिभूति जमा न कराने पर भूमि पर तहसीलदार, झुंझुनूं को प्रापक नियुक्त किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश / निर्णय उचित एवं कानून सम्मत है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी को इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में भूमि बाबत अंकन किया है कि प्रश्नगत आराजी मूर्ति मंदिर ठाकुर जी को ठिकाना कुम्भाराम कुहाडु ने माफी में दी थी ताकि मूर्ति के भोग राग

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 34 / 2005 / झुंझुनूं** **मूर्तिमंदिर बनाम रामोतार पुत्र किरोडीमल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की व्यवस्था हो सके जिसका अंकन मिसल हकीयत संवत् 1999 में भूमि माफी मंदिर ठाकुर जी के नाम दर्ज है। संवत् 2014–17 एवं 2018–31 में भी भूमि माफी मंदिर ठाकुर जी के नाम दर्ज है।

अप्रार्थीगण ने कथन किया कि यह भूमि पुजारी को व्यक्तिगत रूप से दी थी एवं मंदिर को अन्य भूमि दी थी। इस कारण इस भूमि में मंदिर का कोई हक नहीं है। इसके समर्थन में जमाबंदी संवत 2026–29 एवं 2030–33 व 2047–50 पेश की है जिसमें भूमि किरोड़ीमल / नाथूराम के खातेदारी में है। इस प्रकार दोनों पक्षों के भूमि के संबंध में दावे हैं दोनों के ही दस्तावेज पेश है। इस कारण भूमि विवादित और in medio मानी जाने योग्य है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने 200 / –प्रति बीघा के आधार पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया है।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है कि खातेदारी अधिकारों का निर्धारण पर्याप्त साक्ष्य–सबूत से होगा। अपीलांट रिकॉर्डेड खातेदार हैं। प्रथमदृष्ट्या प्रकरण अपीलांट के पक्ष में बनता है। रिसिवरी की आड़ में खातेदार को कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता है रिसीवर एक कठोरतम उपाय है जिसे बिना आधार के लागू नहीं कर सकते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नहीं है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

स्थगन प्रार्थना पत्र के निर्धारण हेतु तीन मुख्य घटक हैं जिनका विवेचन निम्नानुसार है–

(1) प्रथम दृष्ट्या– दस्तावेज एवं तथ्यों से प्रमाणित है कि प्रश्नगत भूमि मन्दिर को प्रदान की गई है जिसके समर्थन में दस्तावेज भी है। सबसे पुराना दस्तावेज मिसल हकियत संवत 1999 का है जो समर्थन योग्य है शेष दस्तावेजों की उत्पति पश्चातवर्ती है। माफी मंदिर को भूमि सेवा, राग भोग के लिए दी गई थी। बाद में किस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन हुए हैं वे परिस्थितियों के आधार पर बदलते रहे हैं जिनका निर्णय मूलवाद में होगा वही सही निर्णय होगा। वर्तमान में यदि प्रश्नगत भूमि की खुर्द–बुर्द हो जायेगी तो वाद करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। मंदिर मूर्ति भी शाश्वत नाबालिक है उसके अधिकारों का संरक्षण भी न्यायालय को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 34 / 2005 / झुंझुनूं** **मूर्तिमंदिर बनाम रामोतार पुत्र किरोडीमल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

देखना है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी का आदेश Cash Security का उचित प्रतीत होता है परंतु इसकी राशि 2000/– प्रति बीघा प्रति वर्ष होना उचित है जो जिसके पक्ष में निर्णय होगा उसे यह राशि प्राप्त हो जाएगी। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

(2) सुविधा का संतुलन– प्रकरण में मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिक होने से उसके पक्ष में सुविधा का संतुलन भी है क्योंकि जो भूमि मंदिर की सेवार्थ दी है उसको यदि खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो मूर्ति के हितों के विपरीत प्रभाव पड़ेगा जो दस्तावेज प्रस्तुत है उनका विवेचन मूलवाद में होना है जिसमें समय लगने की पूरी सम्भावना है। अतः यह बिंदू भी निगराकार के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(3) अपूरर्णीय क्षति– तहसीलदार को रिसिवर नियुक्त किया जाकर भूमि की Cash Security जमा कराने पर भूमि भी संरक्षित रहेगी। जिससे उभय पक्षों में किसी को भी अपूरणीय क्षति नहीं होगी। जमा राशि अंतिम निर्णय के समय जिसके पक्ष में निर्णय होगा उसे प्राप्त हो जाएगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–11–2004 को निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित है परंतु Cash Security के बिन्दु पर राशि 2000/–प्रति बीघा प्रति वर्ष की जाती है। तहसीलदार झुंझुनूं को रिसिवर नियुक्त किया जाता है जो भूमि का कब्जा प्राप्त करे। यदि वर्तमान खातेदार Cash Security जमा करवाते हैं तो उन्हें काश्त करने दिया जावे। अन्य जो भी काश्त संबंधी विधिसम्मत निर्णय तहसीलदार अपने स्तर पर करे उसके लिए वह स्वतंत्र है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार झुंझुनूं को अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजी जावे। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य